न्यायालय अति जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 52/2019 ::
जी.सी.एम.एस. नं. :: 2019/00122

प्रार्थी :—

श्रीमति अयोध्यादेवी पत्नी स्वर्गीय शिवसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी गांव चिरपटिया, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. ग्राम पंचायत चिरपटिया जरिये सरपंच
2. अचलसिंह के वारिसान —
   2.1 शंकरसिंह पुत्र स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
   2.2 जसराजसिंह पुत्र स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
   2.3 दलपतसिंह पुत्र स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
   2.4 शैतानसिंह पुत्र स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
   2.5 कुन्दनसिंह पुत्र स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
   2.6 घनश्यामसिंह पुत्र स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
   2.7 कमला पुत्री स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी विंगरला तहसील रानी जिला पाली
   2.8 पारस पुत्री स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धनला तहसील मा0ज0 जिला पाली
   2.9 चन्द्रकवंर पत्नी स्वर्गीय अचलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
3- मोहनसिंह के वारिसान —
   3.1 कन्यादेवी पत्नी मोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली
   3.2 विक्रम पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चिरपटिया तहसील मा0ज0 जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :—
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 7.2.24

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, चिरपटियां की मिसल संख्या

अति. जिला कलक्टर, पाली

21/1977–78, सकंल्प संख्या ... दिनांक 13.12.1977 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 17 दिनांक 17.12.1977 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को वास्ते बहस पुर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी नियत तारीख पेशी पर वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीया का गांव चिरपटिया में कब्जाशुदा मालिकाना परिसर आया हुआ है जिसके पडौस उत्तर में शिवसिंह पुत्र हेमसिंह पुरोहित चंदनसिंह रामसिंह पुत्र हेमसिंह का मकान दक्षिण में वजीर खां का मकान पुर्व में सोहनसिंह पुत्र खिवसिंह का मकान एवं पश्चिम मे रास्ता आया हुआ है जिस पर प्रार्थिया पिछले 42 वर्षो से अधिक समय से कब्जाशुदा परिसर में परिवार सहित निवास कर रही है जिसमें दो पतरे के कमरे एक खुला ढालिया लेट्रिन बाथरूम एंव पानी का टांका बना हुआ है जहां पर प्रार्थिया ने अपने नाम से पानी एवं लाईट का कनेक्शन ले रखा है। पुर्व में लेण्डलाईन फोन का कनेक्शन था जो वर्तमान में अस्तित्व में नही हैं। प्रार्थिया के पति शिवसिंह का देंहांत दिनांक 10.02.1987 को हो जाने के पश्चात पारावारिक सम्पति का बंटवारा किया गया जिसमें प्रार्थिया के जेठ अचलसिंह पुत्र धुलसिंह प्रार्थिया के देवर स्वर्गीय मोहनसिंह की विधवा पत्नी कन्यादेवी के मध्य एक लिखित बंटवारें में जैर निगरानी परिसर प्रार्थिया के पक्ष में रखा गया जिस पर प्रार्थिया पुर्व से आदिनांक तक रहवास कर रही है एवं उपभोग उपयोग कर रही है। दिनांक 14.07.2019 को प्रार्थिया के जेठ अचलसिंह का स्वर्गवास हो जाने के बाद शैतानसिंह पुत्र अचलसिंह एवं देवर मोहनसिंह के पुत्र विक्रमसिंह ने जैर निगरानी कब्जाशुदा परिसर पट्टे की आड में खाली करने का कहते हुए खाली नही करने पर बेदखल करने की धमकी देने लगे। प्रार्थिया के जेठ एवं देवर ने अपने जीवन काल में जैर निगरानी पट्टे के बारे में किसी प्रकार का जिक्र नही करने से प्रार्थिया उक्त परिसर का उपयोग उपभोग कर रही थी क्योंकि प्रार्थिया के पति के जीवनकाल के समय से ही प्रार्थिया का परिवार का उक्त परिसर पर कब्जा था, जिसके संबध में परिवार को कोई आपत्ति नही थी। ग्राम पंचायत चिरपटिया से जैर निगरानी पट्टे से संबधित मिसल प्राप्त करने पर जानकारी हुई की जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों की पालना नही की है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने के संबध में ग्राम पंचायत चिरपटिया में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पट्टा धारक के हस्ताक्षर नही होकर प्रार्थिया के पति शिवसिंह के हस्ताक्षर है, लेकिन ग्राम पंचायत ने पट्टा शिवसिंह के नाम जारी न कर अचलसिंह एवं मोहनसिंह के नाम पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पटटा के संबध में जारी आप्पति इस्तहार में पंचायत का नाम व पंचायत की मोहर नही है साथ ही आपत्ति इश्तेहार कहा कब चस्पा किया गया है अंकित नही है। जैर निगरानी भुखण्ड के मौका निरीक्षण प्रपत्र भी आधा अधुरा है जिसमें जमीन का नक्शा सलंग्न नही है। साथ ही नाप एवं मुल्याकन रिपोर्ट, तीन पंचों के नाम एवं हस्ताक्षर का कॉलम खाली है, सरंपच ग्राम पंचायत चिरपटिया के प्रमाण पत्र दिनांक 10.04.2003 से भी स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थिया का पुश्तैनी कब्जा है जिस पर वह निवास कर रही जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया है, जो विधि सम्मत नही है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 21/1977–78 की पालना में अचलसिंह, मोहनसिंह पिसरान धुलसिंह पुरोहित के पक्ष में जारी किया। जैर निगरानी पट्टे की मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के संबध में ग्राम पंचायत चिरपटिया में पुश्तैनी कब्जाशुदा नोरा का पट्टा बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके सन्दर्भ में नियमानुसार शुल्क 15 रूपये 11 पैसे ग्राम पंचायत के राजकोष में जमा करवाया जिसकी रसीद संख्या 30 दिनांक

अति. जिला कलक्टर, पाली

16.12.1977 जारी की गई। एवं जैर निगरानी पट्टे बाबत मिसल संख्या 21/77–78 खोली गयी। दिनांक 14.09.1977 को मौका निरीक्षण हेतु पंचों की कमेटी गठित कर निरीक्षण रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी पर पेश करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 21.09.1977 को ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड पंचों की निरीक्षण कमेटी द्वारा तैयार निरीक्षण रिपोर्ट एवं सचिव द्वारा बनाया गया मौका नक्शा पेश किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लेते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने एवं नोटिस एक अवधि के बाद आगामी बैठक में मिसल पुनः पेश करने के आदेश जारी किये गये। जिसकी पालना में नोटिस जारी कर चस्पा किया जिसमें नोटिस अवधि बीत जाने के बाद किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पर जिस पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा होने के आधार पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने की स्थिति में जैर निगरानी पट्टा संख्या 17 दिनांक 17.12.1977 अचलसिंह, मोहनसिंह पुत्र धुलसिंह पुरोहित के पक्ष में जारी किया जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में कथन किया कि निगरानी कर्ता के पति शिवसिंह के स्वर्गवास होने के पश्चात शिवसिंह, शिवसिंह के बडे भाई अचलसिंह एवं छोटे भाई स्व. मोहनसिंह की बेवा कन्यादेवी के मध्य पारिवारीक सम्पतियों का लिखित बटवारा किया गया जिसमें जैर निगरानी आराजी परिसर प्रार्थिया के पक्ष मे किया गया, जिसका अवलोकन करने से पाया गया है उक्त लिखित बंटवारा रजिस्टर्ड नही है एवं न ही लिखित बंटवारा की प्रति प्रमाणित है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बटवारा को कानुनन वैध नही माना जा सकता है, एवं लिखित बंटवारे की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह है। जैर निगरानी पट्टे के परिसर के हक अधिकारो का निर्धारण करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है उसके लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जा सकती है। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पचांयत ने पंचायती राज नियमों के तहत एंव नियमानुसार जारी किया है, उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, चिरपटिया द्वारा मिसल संख्या 21/1977–78, पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 17 दिनांक 17.12.1977 जो अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी किया गया को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड ग्राम पंचायत चिरपटिया को भिजवाई जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/2/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली